न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी— राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा— राजस्व वाद / मु.सं. 54 / 2024

कमल कुमार पुत्र गुलाबचन्द उम्र 31 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर

—वादी

बनाम

01. गुलाबचन्द पुत्र केशरदेव
02. राजेन्द्र पुत्र गुलाब चन्द
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम सरवड़ी तहसील धोद जिला सीकर
03. भगवतीसिंह शेखावत पुत्र पृथ्वीसिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी मकान संख्या ए/211 कॉलोनी हिम्मत नगर, दुर्गापुरा जयपुर
04. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
05. तहसीलदार, धोद तहसील धोद जिला सीकर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति—

01. श्री रतनलाल, वकील वादी की ओर से
02. श्री कमल कुमार, वकील प्रतिवादी सं. 2 की ओर से
03. श्री दीनानाथ शर्मा, वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 की ओर से

—:निर्णय:—

दिनांक— 31.07.2025

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि "कृषि भूमि खसरा सं. 589/179 रकबा 0.6700 हेक्टेयर वाके ग्राम बल्लूपुरा पटवार क्षेत्र बोसाना तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमि के मूल खसरा सं. 179 रकबा 1.3400 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड में अंकित रहे है। किन्तु उक्त भूमि का वादी के पिता एवं उसके चाचा के मध्य विभाजन होकर प्रतिवादी के हक हिस्से में भूमि खसरा सं. 589/179 रकबा 0.6700 हेक्टेयर आया हुआ है। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त वर्णित भूमि को वाद पत्र की आगे की मदों में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। उक्त वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा उसका स्वार्जित हिस्सा नहीं होकर पिता केशरदेव से विरासतन प्राप्त हक हिस्सा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 धर्म से हिन्दू है और उन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होते है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र है, जो प्रतिवादी सं. 1 के वादग्रस्त भूमि में अपने नोशनल हक हिस्से पर काबिज, काश्तकार चले आ रहे है तथा वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हक, हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को भी प्रतिवादी सं. 1 के जीवन काल में ही जन्मजात रूप में उसी के समान हक, अधिकार परिपक्व व प्राप्त हो चुका है, जिसकी उद्घोषणार्थ वादी द्वारा प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में जो हिस्सेदारी दर्ज हैं वह अकेले प्रतिवादी सं. 1 की नहीं होकर वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 की शामलाती, हक आधिपत्य की बहिस्सा बराबर बराबर पैतृक हक, हिस्से की भूमि है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रतिवादी सं. 1 का केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज है। प्रतिवादी सं. 1 शराबी किस्म का व चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति है तथा पिछले कुछ दिनों से वह अनावश्यक ही वादी से नाराज हो गया तथा बसाजिश प्रतिवादी सं. 3 विवादित भूमि में अपने नाम दर्ज 0.6700 हेक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं. 3 को 562/1675 हिस्सा जरिए विक्रय–पत्र दिनाक 26.04.2024 को विक्रय कर दिया गया है तथा खातेदारी में प्रतिवादी सं. 3 का नाम अंकित हो चुका है। प्रतिवादी सं. 1 अपने नाम खातेदारी होने का अनुचित लाभ उठाकर भूमि को वेस्ट डेमेज और एलाईनेट करने पर आमादा फसाद हो गया है ताकि वादी को विवादित भूमि में से उसके पैतृक हक, हिस्से से वंचित किया जा सके। अपनी उक्त कुचेष्टाओं के क्रम में दिनांक 29.04.2024 को प्रतिवादी सं. 1 विवादित भूमियों पर अपने साथ प्रतिवादी सं. 2 व चार पांच अजनबी व्यक्तियों को लेकर आया तथा उन्हे विवादित भूमियां दिखाकर विक्रय का सौदा करने लगा। वादी द्वारा जब इस सम्बन्ध में एतराज किया गया तो वे वादी के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा फसाद हो गये तथा वादी को खुले आम धमकी देने लगे कि प्रतिवादी सं. 2 एवं मैं सभी एक साथ है तथा हम दोनों का उद्देश्य विवादित भूमि में से तुझे तेरे हक, हिस्से से वंचित कर बर्बाद करना है, विवादित भूमि की खातेदारी मेरे नाम से है तू मुझे इस जमीन को बेचने से नहीं रोक सकता है। यदि प्रतिवादी सं. 1 बसाजिश प्रतिवादी सं. 2 विवादित भूमि को वेस्ट डेमेज एवं अलाईनेट करने में सफल हो गये तो वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति भविष्य में किसी भी रूप में किया जाना संभव नहीं हो पायेगा। इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1, 2 व 4 एवं 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। तदहेतु भी प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना लाजमी आया है। वादकारण दिनांक 29.04.2024 को विवादित भूमि को विक्रय व हस्तांतरित करने की कुचेष्टा में संलग्न रहने तथा वादी को उसके हक हिस्से की भूमि पर से बेदखल करने की धमकी देने के कारण उत्पन्न होकर क्षण प्रतिक्षण जारी है। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। कानूनन उनके खिलाफ दावा दायरी से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिये जाने का कानूनी प्रावधान है। परन्तु प्रस्तुत वाद आवश्यक प्रकृति का है, क्योंकि प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 विवादित भूमियों को यथाशीघ्र ही अन्यत्र हस्तान्तरित, प्रभारित करने व वादी को विवादित भूमि में से उनके हक, हिस्से पर से बलात् बेदखल करने की कुचेष्टाओं में लगे हुये है। यदि वे अपनी कुचेष्टाओं में कामयाब हो जाते है तो वादी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादी का दावा दायरी का उद्देश्य ही विफल हो जावेगा। इसलिए प्रस्तुत दावा माननीय न्यायालय की पूर्वानुमति से बिना प्रतिवादी सं. 4 व 5 को दो माह का विधिक नोटिस दिये बिना ही माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति हेतु अलग से भी एक आवेदन अंतर्गत धारा 80(2) सी.पी.सी. प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी सं. 4 को प्रलेख पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में तथा प्रतिवादी सं. 5 को भूधारक के प्रतिनिधि के रूप में औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है। दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने से उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 निर्णित व डिक्री किया जाकर वर्णित कृषि भूमि खसरा सं. 589/179 रकबा 0.6700 हेक्टेयर वाके ग्राम बल्लूपुरा पटवार क्षेत्र बोसाना तहसील धोद जिला सीकर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1113/1675 हिस्से में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रत्येक को 1/2 – 1/2 हक हिस्से का का काबिज, खातेदार काश्तकार उदघोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे उक्त वर्णित भूमि को किसी भी रूप में विक्रय व हस्तांतरित करने तथ वादी के कब्जे, काश्त व उपयोग उपभोग में दखलदांजी करने से बाज रहें।"

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 पर विधिवत जरिये रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण हो चुकी है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 3 की ओर से श्री दीनानाथ शर्मा, एड. ने वकालतनामा पेश किया, परन्तु जवाब पेश नहीं किया। प्रतिवादी सं. 2 की ओर से श्री कमल कुमार, एड. ने वकालतनामा पेश कर वादी के वाद को डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होने बाबत इकबाली जवाब दावा पेश किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:55 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

दिनांक 21.07.2025 को वादी स्वयं तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया, जिसे वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दावा में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने उनके द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा दिनांकित 21.07.2025 के अनुसार वादी के वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष से सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। बहस पर मनन किया। प्रकरण दावा में ग्राम बल्लूपुरा पटवार क्षेत्र बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 74 में वर्णित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (संवत् 2076–2079) में वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 का 1113/1675 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 3 का 562/1675 हिस्सा दर्ज है। उक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हिस्सा 1113/1675 है, उक्त हिस्से के संबंध में वादी ने रिलीफ चाही है। प्रकरण दावा में वादी तथा प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने सहमत होकर वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1113/1675 हक हिस्से रकबा 0.4452 हेक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 ने रास्ते के पेटे खसरा सं. 181 के खातेदार सुरेश, सुखदेव, जुगल पुत्रगण बंजरंगलाल, महेन्द्र पुत्र सम्पत, विनोद, परमानन्द पुत्र दुर्गाराम को 0.045484 हेक्टेयर भूमि दिया जाना अवगत करवाया जाकर प्रतिवादी सं. 1 के पास खसरा सं. 589/179 में से रास्ते पेटे भूमि देने के पश्चात 0.399716 हेक्टेयर भूमि बचती है जो भूमि प्रतिवादी सं. 1 अपने दोनों पुत्र वादी कमल कुमार व प्रतिवादी सं. 2 राजेन्द्र को बराबर–बराबर हिस्सा देने में सहमति से उक्तानुसार खातेदारी उद्घोषित करवाना चाहते है। वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के मुताबिक राजीनामा के अनुसार सहमत है। अतः वादी का वाद उभयपक्ष की सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाके ग्राम बल्लूपुरा पटवार क्षेत्र बोसाना तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित कृषि भूमि खसरा सं. 589/179 रकबा 0.6700 हेक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1113/1675 हक हिस्से रकबा 0.4452 हेक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 ने रास्ते के पेटे खसरा सं. 181 के खातेदार सुरेश, सुखदेव, जुगल पुत्रगण बंजरंगलाल, महेन्द्र पुत्र सम्पत, विनोद, परमानन्द पुत्र दुर्गाराम को 0.045484 हेक्टेयर भूमि बेचान कर देने के पश्चात् 0.399716 हेक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी सं. 2 को बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांकित 21.07.2025 निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। यदि रहन है तो रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.05 16:20:55 IST
Reason: SelfAttested